लीजिये। यह अपने मजदूरों को काफ़ी अच्छी मजदूरी और बोनस आदि देती है। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी वह कम्पनी अच्छा मुनाफ़ा कमाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी में, जिसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में है, इतना घाटा क्यों हो रहा है।

SHRI RAGHUNATH REDDI : It is true that this company is not in a very happy state. For this purpose, I may humbly submit that, when the company got into troubled waters, it was taken over by the Government under the Industrial Development and Regulation Act on 11th July, 1960 and this period is now extended up to 10th January, 1968. For the purpose of understanding the economies of the operations of this industry, the Government of India had appointed a technical committee which had estimated that at least Rs. 2·5 crores will have to be spent to bring new machinery and also to get the factory on proper production lines. The Government of India has examined this and still the matter is to be decided whether they would be able to find money for this purpose. Besides this, the factory owes quite a lot of money to the State Bank of India. Therefore, as I said, the affairs of the company are not in a happy state.

SHORT NOTICE QUESTION

INDUSTRIAL LICENSING POLICY COMMITTEE

S.N.Q. 17. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Industrial Licensing Policy Committee, which was asked to conduct an inquiry into the licences issued to Birlas, has not met so far despite the assurance given by Government that the inquiry will be over within six months; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) The Committee has in fact held five formal meetings already.

(b) Does not arise.

श्री सरजू पाण्डेय : प्रोफ़ेसर थाकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसके मेम्बरों की शिकायत है कि सरकारी अफ़सर उनके साथ को-आपरेट नहीं करते हैं और उनको जांच-पड़ताल को सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं। इस स्थिति में जांच-पड़ताल कैसे चलेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कब बनी और कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी ?

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि आनरेबल मेम्बर्ज़ को मालूम है, यह कमेटी 22 जुलाई, 1967 को एपायंट की गई और उसने सितम्बर से काम करना शुरू किया उसके बाद उसकी चार पांच मीटिंग्ज़ हुई हैं। इस सिलसिले में जिन आफ़िसर्ज़ की ज़रूरत थी, उनकी भी एपायंटमेंट अक्तूबर के महीने में हो गई। जहां तक मेरा इल्म है, सब आफ़िसर्ज़ उस कमेटी को मदद दे रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। जब कोई डिफ़ीकल्टी, मुश्किल, होती है, तो कमेटी के चेयरमैन या मेम्बर मुझ से या मेरे कलीग, मिनिस्टर आफ़ स्टेट, से मिलते हैं और जहां तक मुमकिन हो सकता है, हम उनकी दिक्कतों को दूर करते हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : मंत्री महोदय ने कहा है कि अफ़सर कमेटी के सदस्यों के साथ को-आपरेट करते हैं, लेकिन मेरी सूचना यह है कि बहुत दिनों तक सदस्यों को कोई आफ़िस या दफ्तर नहीं मिला और सरकारी आफ़िसर्ज़ आज तक उनके साथ को-आपरेट नहीं करते हैं।

अभी-अभी अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कैबिनेट कोई दूसरी कमेटी बनाना चाहती है और इस तरह से सरकार बिड़ला के तमाम लाइसेंसिज़ को लीगलाइज़ करने के फेर में लगी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समाचार में कहां तक सत्य है।